



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237835
CG-DL-E-02082022-237835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3443]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944

No. 3443]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

का.आ. 3608(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 1 जुलाई, 2016 के का.आ. 2289(अ) के तहत प्रकाशित किया। उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में क्रमांक के (i) कॉलम (2) के सामने सं.(1) भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) से संबंधित को राजस्व मंडल अधिकारी, कोव्वूर, पूर्वी गोदावरी जिला, के स्थान पर राजस्व मंडल अधिकारी, एलुरु (ii) कॉलम (4) के स्थान पर रखा जाएगा। (2) जिले से संबंधित मंडल के लिए पश्चिम गोदावरी के स्थान पर "पूर्वी गोदावरी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। नल्लाजरला, गुंडुगोलानु - कोव्वूर खंड के किमी 34.860 से किमी 85.204 तक के खंड के लिए ऐसे प्राधिकरणों के कार्यों को करने के लिए उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।

उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में क्रमांक के (i) कॉलम (4) के सामने जिले से संबंधित संख्या (2) को मंडल के लिए पश्चिम गोदावरी के स्थान पर "पूर्वी गोदावरी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा 1. देवरपल्ली, 2. गोपालपुरम, 3. कोव्वूर और 4. किमी. से खिंचाव के लिए चागलू। सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को करने के लिए गुंडुगोलानु - कोव्वूर खंड के 34.860 से किमी. 85.204 तक।

नए जिलों के गठन के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गुंडुगोलानु - कोव्वुरु खंड के लिए CALA नामकरण और जिले के नाम में परिवर्तन।

आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन के कारण CALA नामकरण और जिले के नाम में परिवर्तन।

[फा. सं. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st August, 2022

S.O. 3608(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Gazette Notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide S. O. 2289(E) dated 1st July 2016.

In the Schedule to the said Notifications against (i) column (2) of Sl. No.(1) relating to Competent Authority for Land Acquisition (CALA) shall be substituted as **Revenue Divisional Officer, Kovvur , East Godavari District,** in place of **Revenue Divisional Officer, Eluru** (ii) column (4) of Sl. No.(2) relating to District shall be substituted as **"East Godavarai"** in place of **West Godavari** for the mandal 1. Nallajarla, for the stretch from Km. 34.860 to Km.85.204 of Gundugolanu - Kovvuru Section to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

In the Schedule to the said Notifications against (i) column (4) of Sl. No.(2) relating to District shall be substituted as **"East Godavarai"** in place of **West Godavari** for the mandal 1. Devarapalli, 2. Gopalapuram, 3. Kovvuru and 4. Chagallu for the stretch from from Km. 34.860 to Km.85.204 of Gundugolanu - Kovvuru Section to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Change of CALA Nomenclature and District Name for Gundugolanu - Kovvuru Section in East Godavari District of Andhra Pradesh, due to formation of new Districts.

Due to the formation of new districts in the state of Andhra Pradesh Change in CALA Nomenclature and District Name.

[F. No. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/Corr]

RAJESH GUPTA, Director